

THE COURT

ORDER SHEET

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:- 29/02/2020

राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र

बरेली

वि०

कैलाश

Date of
Order of
proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of
Parties or
Pleaders where
necessary

1/2020

आरक्षी केन्द्र बरेली की ओर से आरक्षक राजेश क्रमांक

द्वारा अपराध क्रमांक 44/20 में आरोपी

कैलाश पिता शीमाजी देवगिरि मल्लारी या

के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

अभियोग पत्र के परिशीलन उपरांत धारा 190(1)(ख) द.प्र.स. के अधीन मामले का संज्ञान लिया गया। अभियोग पत्र न्यायालय की नियमित दांडिक प्रकरणों की पंजी में विधिवत पंजीबद्ध किया जावे। धारा 207 द.प्र.स. के अनुपालन में अभियुक्त को अभियोग एवं प्रपत्रों की प्रतिलिपि दिलाई गई। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति विधिवत मालखाना विभाग में जमा की जावे। आरोपी आज स्वयं उपस्थित है।

उसके प्रकट किया है कि वह स्वयं अपना पक्ष समर्थन करते हुये अपराध स्वीकारोक्ति करना चाहते है। अभियुक्त को यह समझाया गया कि वह स्वीकारोक्ति के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह अपराध स्वीकारोक्ति करता है तो उसके विरुद्ध उपयोग में लिया जाकर उसके कारावास के दंडादेश से भी दंडित किया जा सकता है। इस पर अभियुक्त का कहना है कि वहा स्वेच्छया बिना किसी भय दबाव व लालच के अपराध स्वीकार करना चाहता है।

तदनुसार संक्षिप्त विचारण प्रकिया अपनाकर संक्षिप्त विचारण संबंधी प्रपत्र पर अभियुक्त को धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति की।

तदनुसार स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को उक्त अपराध के लिये न्यायालय अवसान तक के कारावास व ६.१५००/- अक्षरी एकजु के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त ने आरोपित अर्थदण्ड की राशि रुपये 1400/- ई पैमेंट 0070 14080 पर जमा की जिसे उसकी रसीद प्रदान की गई।

निष्कर्ष नियमित आपराधिक पंजी में अंकित कर समयावधि में प्रकरण विधिवत तैयार कर अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

पुनःश्च

अभियुक्त का न्यायालय उठने तक की सजा भुगताई जाकर प्रत्यक्ष में रिहा किया गया।

(दिनेश जीवा)
न्यायिक नॉन-पेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्चार्ज (म.प्र.)

जे०एम०एफ०सी देपालपुर
न्यायिक नॉन-पेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्चार्ज (म.प्र.)

25/2/20